राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2344/2000

शिव पाल (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि
1. नाथू राम पुत्र श्री शिवपाल
2. देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री शिवपाल
3. संतोष देवी पुत्री श्री शिवपाल
4. लक्ष्मी देवी पुत्री श्री शिवपाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. मुख्य अभियंता, इरीगेशन डिपार्टमेंट, जयपुर।
2. सहायक अभियंता, इरीगेशन सब डीवीजन, नीम का थाना, सीकर।
3. निदेशक, पेंशन एव पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.08.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल शर्मा, अधिवक्ता,
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी द्वारा पूर्व में इस प्रकरण में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह तथ्य भी अंकित किये गये थे कि अपीलार्थी श्री शिवपाल की मृत्यु हो चुकी थी। इसके पश्चात अपीलार्थी की पत्नी का देहान्त भी हो चुका है। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अपीलार्थी के पुत्र श्री नाथुराम, देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री शिवपाल, संतोष देवी पुत्री श्री शिवपाल और लक्ष्मी देवी पुत्री श्री शिवपाल द्वारा प्रस्तुत की गई। पूर्व में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा चुका है। अपीलार्थी के स्थान पर उक्त प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. अपील में अंकित तथ्यों पर उक्त प्रतिनिधियों को सुना गया।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति के लाभ दिये जा चुके हैं, परंतु सेवानिवृत्ति के लाभ अपीलार्थी को विलम्ब से दिये गये है। इस कारण से यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिसमें यह अनुतोष चाहा गया है कि विलम्ब से दिये जाने वाले लाभ पर ब्याज की राशि दिलाई जाये। उनका आगे यह भी तर्क है कि ग्रेचुटी की राशि में से रुपये 48759/– काटी गई है, जो उचित नहीं है।
4. अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति के लाभ देरी से दिये जाने का कारण प्रत्यर्थी विभाग स्पष्ट नहीं कर पाया है। ऐसे में अपीलार्थी नियम–89 राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के तहत ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होता है।

5. अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के पश्चात 48759/– की राशि काटी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया हैः–

State of Punjab v Rafiq Masih 2015 (1) SCT 195

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.

(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात कार्मिक से वसुली किया जाना उचित नहीं है।

7. उपरोक्त प्रकार से यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः यह अपील स्वीकार प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को देरी से किये गये सेवानिवृत्ति परिलाभों को नियम–89, राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के तहत ब्याज की राशि अदा करें एवं यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी से ग्रेचुटी की राशि में से काटी गई 48759/– मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ अपीलार्थी के विधिक प्रतिनिधियों को लौटाई जावे।

8. उपरोक्त आदेश की पालना 3 माह में की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)